संख्या- 01/2024/125/63-व0उ0-2024-1(एच)/2024

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उ०प्र० शासन।
2- आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर।
3- आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊ: दिनांकः 20 फरवरी, 2024

विषय- जनपद वाराणसी में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) की स्थापना विषयक।

महोदय,

अवगत कराना है कि राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) की स्थापना भारत सरकार के द्वारा विभिन्न राज्यों में किया जाता है। संस्थान के लिए आवश्यक भूमि, भवन एवं प्रथम पांच वर्षो तक संचालन में होने वाले क्षतिपूर्ति की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा कराये जाने का प्रावधान है। प्रत्येक राज्य में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा एक NIFT की स्थापना की जाती है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली में NIFT संचालित है एवं वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में वाराणसी के महत्व के दृष्टिगत भारत सरकार ने एक अतिरिक्त NIFT की स्थापना का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) की स्थापना होने से टेक्सटाइल एवं हस्तशिल्प हेतु फैशन एवं डिजाइन के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं दक्ष मैनपावर तैयार होंगे। संस्था के परिसर हेतु भूमि राज्य सरकार के द्वारा वस्त्र मंत्रालय को हस्तांरित की जानी है। इस प्रयोजन के लिए वर्तमान में BSNL के पास लालपुर, वाराणसी में उपलब्ध सरप्लस 7.5 एकड़ भूमि उपयुक्त पायी गयी है।

**2-** भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) ने उक्त 7.5 एकड़ भूमि NIFT के लिए उपलब्ध कराने पर अपनी लिखित सहमति भी दे दी है। भूमि का वर्तमान मूल्य वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) को दिया जाना है एवं कुछ अन्य निर्माण कार्य कराये जाने हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में धनराशि रू0 150.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। सम्बन्धित भूमि का मूल्य धनराशि-रू0 122.92 करोड़ है एवं भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) के अनुरोधानुसार किये जाने वाले अतिरिक्त कार्यो पर रू0 2.95 करोड़ का व्यय होगा। इस प्रकार कुल रू0 125.87 करोड़ की धनराशि हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा वाराणसी विकास प्राधिकरण को माह अप्रैल-2024 में उपलब्ध करा दी जाएगी ।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा फ्रीहोल्ड भूमि भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय को स्थानान्तरित की जायेगी। इस हेतु रजिस्ट्री, डीड वाराणसी विकास प्राधिकरण एवं वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य सम्पादित की जाएगी। इस डीड पर स्टाम्प ड्यूटी का व्यय लगभग रूपये 984.00 लाख (नौ करोड़ चौरासी लाख) अनुमानित किया गया है। चूंकि उपरोक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन एवं जनहित में भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय को दी जानी है, अतः स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त होगी ।

**4-** इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव

**संख्या-** 01/2024/125(1)/63-व0उ0-2024-1(एच)/2024**तद् दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार।
2- निदेशक, राष्ट्रीय फैशन प्रोद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली।
3- महानिरीक्षक, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उ०प्र० लखनऊ को आवश्यक निर्देश निर्गत करने हेतु प्रेषित।
4- उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( सत्येन्द्र प्रताप सिंह )
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।